

४५७ - १

प्रेषक,

रंजना,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: ०२ अप्रैल, 2016

विषय: दून इंटरनेशनल स्कूल रिवर साइड परिसर पौधा, विकासखण्ड सहसपुर, देहरादून को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दून इंटरनेशनल स्कूल रिवर साइड परिसर पौधा, विकासखण्ड सहसपुर, देहरादून को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

(क) सेन्ट्रल बोर्ड बाफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) विद्यालय की पंजीकरण सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

(घ) विद्यालय में उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेघावी बच्चों के लिये पर्याप्त स्थान यथा निर्दिष्ट सुरक्षित रहेंगे।

(ङ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि विद्यालय पूर्व में विद्यालयी शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली/कौसिंल फार इंडियन सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान जैसी स्थिति हो, स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्त वनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(झ) विद्यालय तथा विद्यार्थियों से सम्बन्धित सभी अभिलेख निर्धारित प्रपत्रों/पंजिकाओं में रखे जायेंगे।

(ट) उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।



President
Doon International
Educational Society
Dehradun

P. A. [Signature]
Principal
Doon International School
Riverside Campus
Paundha, Dehradun (Uttarakhand)

Principal
Doon International School
Riverside Campus
Paundha, Dehradun (Uttarakhand)

Principal
Doon International School
Riverside Campus
Paundha, Dehradun (Uttarakhand)

ANNEX

2. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव श्रुटिपूर्ण है यथा नियमों के अधीन नहीं है तो इसकी जबावदेही/उत्तरदायित्व निदेशक एवं नियन्त्रक अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा एवं साथ ही दी जा रही अनापत्ति निरस्त/वापस कर ली जायेगी।
 3. उक्त विद्यालयों द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण सम्बन्धी रामी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।
 4. संस्था/स्कूल द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2011 में उल्लिखित प्राविधान कि 25 प्रतिशत सरकार प्रायोजित कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से शिक्षा दी जायेगी, का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 5. संस्था/स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष U-DISE(Unified District Information System In Education) में सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
 6. भविष्य में विद्यालय द्वारा अल्प संख्यक संस्था घोषित करने की मांग शासन एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग, नई दिल्ली में नहीं की जायेगी। यदि उक्त विद्यालय द्वारा अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने की मांग की जाती है तो उक्त संस्था की अनापत्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।
 7. उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भावदीया

(रंजना)

अपर सचिव ।

पृष्ठांक संख्या:816(1) / xxiv-3 / 16 / 01(04)16 तददिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(2) जिलाधिकारी देहरादून ।

(3) अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

(4)मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून।

(४) प्रधानाचार्य, दून इण्टरनेशनल स्कूल रिवर साइड परिसर पौधा, विकासखण्ड सहसपर, देहरादून।

(6) गार्ड फाइल

आष्टा से

(राजनी)

अपर सचिव

Principal
Doon International School
Riverside Campus
Paundha, Dehradun (Uttarakhand)

